an>

Title: Regarding benefits to Home Guards of Andaman & Nicobar Islands Administration.

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदया, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुप्रीम कोर्ट के 5 जून, 2009 के आदेश के मुताबिक 325 होम गार्डज़ को एडमिस्ट्रेशन को एबज़ार्ब करने का आदेश दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर उनको जो अधिकार और बैनिफिट मिलना था, वह तुरंत दिया जाए। वे अधिकार क्या हैं - अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल, और ग्रेड पे छठे पे कमीशन के मुताबिक मिले। दूसरा, एसीपी और एमएसीपी जो दस साल का ड्यू है, छठे पे कमीशन के मुताबिक उनको दिया जाए। उनका एच.आर.ए. का एरियर्स इनीशियल डेट ऑफ अपाइंटमैंट से उनको दिया जाए। साथ-साथ एडहॉक बोनस भी डेट ऑफ अपाइंटमैंट से 2010 तक उनको दिया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में किया था, लेकिन आज पाँच साल बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ है। इस काम को करने के लिए मैंने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तथा गृह मंत्रालय को पिछली लोक सभा से आज तक करीब पाँच बार पत्र लिखा है। मैं आग्रह करूँगा कि 325 होम गार्ड्ज़ के जो अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, अंडमान निकोबार प्रशासन तुरंत इस काम को पूरा करे और गृह मंत्रालय के नाम पर चिट्ठियों का आदान-प्रदान न करे। प्रशासन खुद यह काम कर सकता है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आदेश मुताबिक तुरंत कार्रवाई करके इन गरीबों को मदद पहुँचाए। इससे हर होम गार्ड को करीब 5 लाख रुपये का एरियर्स मिलेगा। जय हिन्द। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब आपकी मांग है और आप अगर ब्लैक मनी पर चर्चा भी चाहते हैं, उसको वापस चाहते हैं और गवर्नमैंट क्या कर रही है यह जानना चाहते हैं, अगर वास्तव में जानना चाहते हैं तो चर्चा करें। चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। मैं फिर से आपको निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप जब कहेंगे, और सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो इसका मतलब यह है कि आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते हैं। Please go to your seats.

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri E.Ahmed Ji. Do you want to raise your point?

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): No, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena.